न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 51/2018 दायरा दिनांक : 03.04.2018

उनवान

मुकुट बिहारी आत्मज श्री छगनलाल, आयु वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम सीमली, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– हरिबल्लभ पुत्र श्री धन्नालाल, जाति मालव धाकड़, निवासी बल्दवेपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–

1/1– रामकन्या बाई आयु 65 वर्ष बेवा हरिबल्लभ, जाति मालव धाकड़, निवासी बल्दवेपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/2– सूजन बाई आयु 50 वर्ष बेवा हरिबल्लभ, जाति मालव धाकड़, निवासी बल्दवेपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/3– सुशीला बाई आयु 48 वर्ष पुत्री हरिबल्लभ पत्नी सीताराम, जाति मालव धाकड़, निवासी टाकरवाडा, तहसील दीगोद, जिला कोटा

1/4– मनभर बाई आयु 45 वर्ष पुत्री हरिबल्लभ पत्नी युगराज, जाति मालव धाकड़, निवासी मूण्डला बिसौती, तहसील अटरू, जिला बारां

1/5– गायत्री आयु 50 वर्ष बेवा जमना लाल, जाति मालव धाकड़, निवासी बल्दवेपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/6– योगेन्द्र आयु 28 वर्ष पुत्र जमना लाल, जाति मालव धाकड़, निवासी बल्दवेपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/7– मनीष आयु 25 वर्ष पुत्र जमना लाल, जाति मालव धाकड़, निवासी बल्दवेपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– जुगल किशोर पुत्र औंकार लाल आयु वर्ष, जाति मालव धाकड़, निवासी बल्देवपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध-अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

3– मूलीलाल पुत्र गणपत लाल, जाति धाकड, निवासी सीमली, तहसील बारां, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–

3/1– कालू लाल आयु 50 वर्ष पुत्र मूलीलाल, जाति धाकड़, निवासी सीमली, तहसील बारां, जिला बारां

3/2– यशोदा आयु 55 वर्ष पुत्री मूलीलाल पत्नी कन्हैया लाल, जाति धाकड़, निवासी भवानीपुरा, पो0 तीरथ, जिला बून्दी

3/3– मोहनी बाई आयु 35 वर्ष पुत्री मूलीलाल पत्नी राधेश्याम, जाति धाकड़, निवासी बड़गांव, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बी एल जैन एवं श्री जितेन्द्र चौरसिया अभिभाषक

अपीलांट की ओर से

श्री मदनगोपाल केवडा एवं श्री राजेन्द्र सुमन अभिभाषक

रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 09.03.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 88/2015 निर्णय दिनांक 16.03.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट कम 1 व 2 वादीगण द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सीमली, तहसील व जिला बारां में पूर्व आराजी खसरा नम्बर 556, 557, 558 कुल 3 किता की रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा आराजी अप्रार्थी कम 1 रेस्पोडेंट कम 1 के पक्ष में सम्पादित करवा दिया था तब से प्रार्थी निरन्तर निर्बाध रूप से उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है । वादग्रस्त

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

आराजी के हाल खसरा नम्बर 659, 660, 661 कुल 3 किता रकबा 1.43 हेक्टर दर्ज हुए हैं । विक्रय अनुबन्ध दिनांक 05.07.1971 की विशिष्ठ अनुपालनार्थ वादीगण प्रार्थीगण ने सक्षम दीवानी वाद न्यायालय मुन्सिफ बारां में वाद संख्या 200/1983 पेश किया था जो दिनांक 14.11.1983 को प्रार्थी के पक्ष में निर्णीत होकर विक्रय अनुबन्ध मूलीलाल द्वारा प्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में निष्पादित करने बाबत आज्ञाप्ति न्यायालय ने जारी कर दी, जिसकी अपील न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां ने दिनांक 28.11.1990 को खारिज कर दी तत्पश्चात अप्रार्थी क्रम 1 ने अपने पुत्र पुत्रियों से दुरभि संन्धि करके अन्य दीवानी वाद कालू लाल बनाम मूलीलाल न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) अन्ता में विक्रय अनुबन्ध दिनांक 05.07.1971 व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.11.1983 को शून्य करार देने हेतु पेश किया । दीवानी न्यायालय ने मूलीलाल अप्रार्थी क्रम 1 का वाद भी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.02.2004 से खारिज कर दिया । निर्विवाद रूप से विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है । अप्रार्थीगण ने गलत रूप से विधि विरूद्ध तरीके से नितान्त फर्जी एवं बनावटी, कूटरचित काल्पनिक दस्तावेज अप्रार्थी कम्र 1 ने अप्रार्थी क्रम 2 के पक्ष में पंजीकृत करवा दिया है, जो प्रारम्भ से ही शून्य है । इस विक्रय अनुबन्ध के आधार पर अप्रार्थी क्रम 2 प्रार्थीगण को विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमादा है । अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थी का वाद स्वीकार करते हुए उनके पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । निर्णय अधीनस्थ न्यायालय न्याय संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की है । अपीलांट प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा विवादित कृषि आराजी दिनांक 16.09.2015 को 8,00,000/– रूपये में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से रेस्पोडेंट क्रम 3 से क्रय की थी, क्रय करने के पश्चात् उक्त आराजी का नामान्तरकरण अपीलांट के पक्ष में नामान्तरकरण सं. 732 दिनांक 29.02.2015 से राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम दर्ज किया जा चुका है, तथा अपीलांट उक्त कृषि आराजी पर बहैसियत खातेदार कृषक काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 3 का किसी भी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट द्वारा खरीद की गई कृषि आराजी का विक्रय पत्र प्रभावशून्य घोषित करने का अधिकार नहीं था । वादीगण ने अपने वाद एवं प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया कि वादीगण को उक्त विवादित आराजी में खातेदारी अधिकार कब और कैसे प्राप्त हुए और न ही वादीगण द्वारा खातेदारी अधिकार बाबत कोई जमाबंदी अधीनस्थ न्यायालय में वाद एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है, परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट वादीगण को उक्त विवादित कृषि आराजी का खातेदार कृषक मानकर अपीलांट प्रतिवादी के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2018 अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई । रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित बताया ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.03.2018 में स्पष्ट किया है कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी नम्बर 1 रेस्पोडेंट नम्बर 3 मूली लाल ने प्रार्थी नम्बर 1 रेस्पोडेंट नम्बर 1 हरिबल्लभ को जरिये विक्रय पत्र इकरारनामा दिनांक 05.07.1971 को बेच दिया था, जिसमें वादग्रस्त आराजी का कब्जा संभलाया जाना भी लिखा है । उक्त विक्रय अनुबन्ध की पालना हेतु प्रार्थीगण द्वारा सक्षम दीवानी वाद न्यायालय मुन्सिफ बारां ने प्रार्थी के विक्रय अनुबन्ध दिनांक 05.07.1971 व प्रार्थी के कब्जे को स्वीकार किया है । विक्रय अनुबन्ध दिनांक 05.07.1971 व कब्जा प्रार्थीगण को संभलाये जाने से प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है । प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के उक्त कथनों का अंतिम रूप से निस्तारण सिविल न्यायालय में चल रही कार्यवाही एवं इस न्यायालय में प्रस्तुत वाद में होगा, किन्तु विवादित आराजी के क्रम में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट का प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में पायी जाती है । अतः प्रार्थीगण रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है व प्रार्थी संख्या 2 अपीलांट का काउंटर क्लेम

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अस्वीकार किया जाता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा